

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

सेवा में,

अपर सचिव,

प्रधानांक,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

न्यू पब्लिक स्कूल सेंटर डी०-१

एल०डी०ए०कालोनी, कानपुर रोड

लखनऊ

इलाहाबाद, दिनांक 7-10-1994

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता/इ. 1214

विषय :- आपका ^{स्वीकृत (क/एच/स/अ 94/19)} हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तयोन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम/1987 के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 1994 को हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिवर्षों के साथ तयोन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिए जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय को तयोन एवं/अतिरिक्त कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रासूत, सुरक्षित कीय एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिवर्षों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय निरीक्षक/निरीक्षक-को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जायगी। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयंसेवक उत्तरदायी होंगे।
- (२) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय निरीक्षक/निरीक्षक से ९वीं/१२वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (३) राज्या की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप की जाय। इसके लिये सिगिल सॉटेड डेस्क व चेपर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।
- (४) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा तयोन/अतिरिक्त न्यूनता योग्यताओं से विधिवत अंशकालिन अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (५) अध्यापक एक योग्य प्रयातावायु व्यवस्थाओं की नियुक्ति की जाय।
- (६) नव कक्षा संचालित करने का प्रारम्भ समय संस्थाधिकारी स्वयंसेवक प्रारम्भ करें।

Anita
PRINCIPAL
New Public Inter Coll
LDA Colony Luckno

विशेष प्रतिपत्र

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मासिकता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रस्तुत मासिकता निरस्त कर दी जावेगी।

(ख) विद्यालय द्वारा कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कक्षाएं संचालित की जाती हैं तो वे अमान्य होंगी तथा हाईस्कूल का भाग नहीं होगी।

इस प्रयोगशाला हेतु एक प्रयोगात्मक मेज की व्यवस्था की जाय।

धर्म व विषयों का विवरण

धर्म	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल वैज्ञानिक मार्ग	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत- गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाजसेवा कार्य।	जीवविज्ञान

टिप्पणी:— (1) कक्षा... 9... में प्रवेश हेतु कम से कम... 40... छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित तनस्त प्रतिबन्धों (निपुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

तत्सम भवन विनियम

अचरीय

अपर सचिव।

7-10-19

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मासिकता/५/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाएं एवं आवश्यक कागंधाही हेतु प्रेषित :—

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक/असलीय-असिका-विद्यालय-निरीक्षिका।
- (2) मध्यम श्रेणी उप-शिक्षा निदेशक।
- (3) उप-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विद्या निदेशक, उ० प्र०, दमहाबाध।
- (4) हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग।

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

प्रवेश

दिनांक

अपर सचिव,
आन्वयिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
राज्य कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रमुख,

राज्य शिक्षा बोर्ड,
एन.पी.आई.सी. कॉलोनी,
इलाहाबाद, दिनांक 22-10-1997

पत्र संख्या आईओ सीओ मा/मा/ए/ 1634

विषय-आवकासार्थ स्नातक/दूरदर्शी शिक्षण परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (नए/नए) की मांगना का प्राधान्य-पत्र।

सहोदय, राज्याज्ञा संख्या 3062/15-ए-4/0008/97 दिनांक 19.9.1997 द्वारा शासन ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग-परिषद् की संरक्षित-दूरदर्शी शिक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा-7-क-4 के अन्तर्गत आपके विद्यालय को दालना/बासिमा-विद्यालय के रूप में परिषद् की 1999 की स्नातक/दूरदर्शी शिक्षण परीक्षा से विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करने की शक्ति प्रदान की है। साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में शिक्षण प्रदान करने का आदेश प्रदान किया है।

सारसंक्षेप भविष्य

- (1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय पर नवीन वर्ग/11वीं कक्षा संस्थापित करने के पूर्व शिक्षा के तदनुसार (जैसे अध्यापकगण, सञ्चालक, शिक्षण-नियम, प्रयोगशाला, सभाग, पुस्तकालय, स्थान, भूखण्ड, सुरक्षित भूखण्ड एवं वार्षिक व्यय और अन्य प्रतिपत्तियों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन के विषय विद्यालय निरीक्षक/सहायक निरीक्षक (विद्यालय-निरीक्षक-सहायक) को पूर्णतया संतुष्ट कर उसके लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। विद्यालय लिखित अनुमति के संलग्नित कक्षा अनुशासन व अधिनियम होंगे और इसके लिये संस्थापिका को सम्बंधित उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आवेदन-पत्र के निम्न शर्तों की पूर्ति से ही वर्ग के अन्तर्गत शिक्षा विद्यालय निरीक्षक/सहायक निरीक्षक (विद्यालय-निरीक्षक-सहायक) से 11वीं कक्षा संस्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अथवा इस पत्र द्वारा प्रदत्त माध्यम स्वतः समाप्त समझी जायगी।
- (3) सञ्चालक को प्रत्येक कक्षा द्वारा निर्धारित नामक के अनुसार की जाय। इसके लिये विद्यालय संचालक डॉरक व चयन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में उचित विषयों के अध्यापकों परिसर द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से निर्भूषित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति विद्यालय द्वारा की जाय।
- (5) विद्यालय पर एक योग्य प्रशासक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संस्थापित करने का उचित व्यय संस्थापिका को स्वयं भुगतान करना है।

[Signature]
PRINCIPAL
New Public Inter Collr
LDA Colony Luckno.

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय प्रवक्त मान्यता निरस्त कर ही जायेंगे।

(ख) विद्यालय भवन/भूमि निजी स्वामित्व में होने का प्रमाण जो निरोक्षक प्रमाणित हो पारंपरिक कार्यालय को प्रेषित किया जाय।



वर्ग व विषयों का विवरण

<u>वर्ग</u>	<u>अनिवार्य विषय</u>	<u>वैकल्पिक विषय</u>
इंटर पैमानिक नवीन	हिन्दी	भौतिकी/पेक्षा, रसायन विज्ञान जीवाणुशास्त्र, जीणत, अंग्रेजी

टिप्पणी—(1) कक्षा... में प्रवेश हेतु कम से कम... छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियमितियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरोक्षक/निरीक्षण कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न-दिनांक विवरण


PRINCIPAL
 New Public Inter College
 LDA Colony Lucknow

सचदीय,

 20.10.17
 अपर सचिव।


पृष्ठांक संख्या आई 0 को मान्यता/र/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- (1) जिला विद्यालय निरोक्षक/मध्यम उच्च शिक्षा निदेशक (साठ) लखनऊ
- (2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
- (3) उच्च शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- (4) सर्व-स्तर इंटरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग।

उ० उ० सचिव, पारंपरिक, मुख्य विषय, रसायन विज्ञान